42
15.4.11

संख्या: 281 / 59–2–2011–15(खा) / 2009

प्रेषक,

अशोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0शासन।

प्राचार्य/कम्प्यूटर

13.04.11

सेवा में,

निदेशक
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग,
उ0प्र0, लखनऊ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग–2

लखनऊ : दिनांक 08 अप्रैल, 2011

विषय: ई–गवर्नेन्स, कम्प्यूटराइजेशन एण्ड कनेक्टिविटी योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्रांक 03 / खा.ग्रा.बो. / कप्यूटर / हार्डवेयर / 2010–11 दिनांक 07.04.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में उ.प्र. शादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को ई–गवर्नेन्स, कम्प्यूटराइजेशन एण्ड कनेक्टिविटी हेतु प्राविधानित धनराशि रू. 22.00 लाख (रूपये बाईस लाख मात्र) में से प्रथम छः माह के लिए 50 प्रतिशत की धनराशि रू. 11.00 लाख (रूपये ग्यारह लाख मात्र) की धनराशि निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग के निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय आहरण वितरण अधिकारी द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या बी–1–901 / दस–2011–231 / 2011, दिनांक 21 मार्च, 2011 में शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरते जाने के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत समस्त शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–2 के प्रस्तर–369 एच के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ.प्र. इलाहाबाद तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही व्यय की गयी धनराशि का मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बी.एम.–8 में वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–6 को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ.प्र. इलाहाबाद या उनके मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कम्प्ट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल या उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिए उपलब्ध रहेगा।

5. उक्त स्वीकृत धनराशि से होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–5 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2851–ग्राम तथा लघु उद्योग–आयोजनागत 105–खादी ग्रामोद्योग–24–ई–गवर्नेन्स, कम्प्यूटराइजेशन एण्ड कनेक्टिविटी–20–सहायता अनुदान, सामान्य (गैर वेतन) मद" के नामे डाला जायेगा।

6. ये आदेश वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या बी–1–901/दस–2011–231/2011, दिनांक21 मार्च, 2011 में की गयी व्यवस्था के अनुसार वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्याः 281(1)/59–2–2011–15(खा)/2009 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. इलाहाबाद।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–6/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1, नियोजन अनुभाग–4
5. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ.प्र. 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ.प्र. इलाहाबाद।
7. गार्ड फाइल।
8. एन.आई.सी. नियोजन विभाग, लखनऊ।

आज्ञा से,

(डा. अशोक चन्द्र)
संयुक्त सचिव